मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 2010 (चैत्र 1, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 127 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

विधायकों के सारगर्भित प्रश्नों के पूर्ण उत्तर दिये जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य के अत्यधिक विस्तृत प्रश्न संख्या 10 (*क्र. 422) पर चर्चा के दौरान व्यवस्था दी गई कि विधायकों द्वारा सारगर्भित एवं संक्षिप्त प्रश्न करने से, समय पर पूर्ण उत्तर प्राप्त होंगे एवं जनधन का अपव्यय भी नहीं होगा. जिलाध्यक्ष स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि माननीय विधायकों के पत्रों के उत्तर संबंधित मंत्रियों एवं अधिकारियों द्वारा समय पर दिये जाएं. आज की प्रश्नोत्तर सूची में जल संसाधन विभाग से संबंधित 11 में से 5 तारांकित प्रश्नों के उत्तर विलम्ब से प्राप्त हुए हैं, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो. श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री द्वारा तद्नुसार निर्देश का पालन करने हेतु आश्वस्त किया गया.

3. नियम 267- क के अधीन विषय

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ के निर्वाचित सरपंचों को प्रभार न दिये जाने

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य ने भोपाल के लालघाटी क्षेत्र के मकानों के ऊपर से उच्चदाब विद्युत लाईन डाली जाने तथा

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने रायसेन जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के आश्रमों को अनुदान राशि न दिये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, वित्तीय वर्ष 2009-2010 की प्रथम छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण पटल पर रखा.

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखा.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा ने:-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर का छठवां तथा सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 तथा

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार, ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 408-म.प्र. विनिआ /2010, दिनांक 15 फरवरी, 2010 तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक 438-म.प्र. विनिआ /2010, दिनांक 18 फरवरी, 2010,

पटल पर रखीं.

5. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखे जाना

सदन में निम्नलिखित मंत्रीगण द्वारा अपनी एवं अपने परिवार की संपत्ति के विवरण पटल पर रखे गये :-

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री
(3) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री
(4) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास
(5) श्री हरिशंकर खटीक, राज्यमंत्री, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण
(6) श्री देवसिंह सैयाम, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
(7) श्री नानाभाऊ मोहोड़, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा
(8) श्री मनोहर ऊंटवाल, राज्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री अजय सिंह एवं पुरुषोत्तम दांगी, सदस्यगण ने प्रदेश में अध्ययनरत छात्राओं को गणवेश के स्थान पर नगद राशि का वितरण होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने भोपाल के ग्राम बांधीखेड़ी स्थित उद्योग की जमीन पर अवैध उत्खनन होने की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

7. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने दिनांक 17 नवम्बर, 2009 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्रमांक 688) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

9. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त-

अनुदान संख्या -3 पुलिस के लिये अठारह सौ इक्यानवे करोड़, सत्तानवे लाख, सत्तर हजार रुपये

अनुदान संख्या -4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये पन्द्रह करोड़, इकहत्तर लाख, बारह हजार रुपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -3	1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24
मांग संख्या -4	1, 2, 4, 5, 6, 7

निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(6) श्री मदन कुशवाह

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ला) पीठासीन हुए.

(7) श्री पारस दादा सकलेचा
(8) श्री लक्ष्मण तिवारी
(9) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो
(10) श्री माखनलाल राठौर

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(11) श्री आरिफ अकील
(12) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(13) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(14) श्री लखन घनघोरिया
(15) श्री अजय सिंह

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. स्वागत -उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अशोक अर्गल, माननीय सांसद की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया.

11. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त-

अनुदान संख्या -14	पशुपालन के लिये तीन सौ बीस करोड़, चौबीस लाख, निन्यानवे हजार रुपये
अनुदान संख्या -16	मछली पालन के लिये उनतीस करोड़, छह लाख, उनासी हजार रुपये
अनुदान संख्या -63	अल्पसंख्यक कल्याण के लिये तैंतालीस करोड़, बीस लाख, बानवे हजार रुपये
अनुदान संख्या -66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिये दो सौ बहत्तर करोड़, पैंतालीस लाख, आठ हजार रुपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -14	1, 2, 8, 9, 11, 12, 15
मांग संख्या -16	1, 3, 7, 9
मांग संख्या -63	1, 4, 10, 15
मांग संख्या -66	1, 2, 8, 10

सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए.

निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री मदन कुशवाह
(4) श्री रत्नेश सालोमन

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

12. अध्यक्षीय व्यवस्था

अनुदान मांगों पर कार्यवाही पूर्ण करके विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्य प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 153 (2) के अनुसार 4.00 बजे तक अनुदान की मांगों पर कार्यवाही पूर्ण करके विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना चाहिए. अध्यक्ष महोदय द्वारा इस नियम को शिथिल करते हुए आज की कार्यसूची में उल्लेखित अनुदान की सम्पूर्ण मांगों पर चर्चा कराकर कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

13. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(5) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(6) श्री मूल सिंह दादाभाई
(7) श्री हेमराज कल्पोनी
(8) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(9) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा
(10) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

14. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखे जाना

सदन में निम्नलिखित मंत्रीगण द्वारा अपनी एवं अपने परिवार की संपत्ति के विवरण पटल पर रखे गये :-

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री
(2) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री

15. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(3) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त-

अनुदान संख्या -37	पर्यटन के लिये बयालीस करोड़, उन्नीस लाख, इकतीस हजार रुपये
अनुदानसंख्या - 43	खेल और युवक कल्याण के लिये सत्तावन करोड़, उनासी लाख, चौसठ हजार रुपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या -37	3, 5, 9, 12, 14, 17
मांग संख्या -43	2, 4, 12, 16, 17, 18, 22

निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव
(2) श्री दीपक कैलाश जोशी
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री श्रीकान्त दुबे
(5) श्री रमेश प्रसाद खटीक
(6) श्री लक्ष्मण तिवारी
(7) श्री पारस दादा सकलेचा
(8) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा
(9) श्री आरिफ अकील
(10) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(11) श्री राजकुमार उरमलिया

श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल , राज्यमंत्री ऊर्जा ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त-

अनुदान संख्या -12 ऊर्जा के लिये सत्ताइस सौ अड़सठ करोड़, चौबीस लाख, इक्यासी हजार रुपये

अनुदानसंख्या - 25 खनिज साधन के लिये सोलह करोड़, पचास लाख, बत्तीस हजार रुपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या -12	1, 3, 6, 7, 11, 19, 21, 26, 27, 29, 34,
मांग संख्या - 25	2, 3, 4, 10, 12, 16

निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह)पीठासीन हुए

(2) श्री देवेन्द्र वर्मा

(3) श्री प्रद्युमन सिंह तोमर

(4) श्री सुदर्शन गुप्ता

(5) श्री लखन घनघोरिया

(6) श्री राधेलाल बघेल

(7) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(8) श्री लक्ष्मण तिवारी

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखे जाना

सदन में निम्नलिखित मंत्रीगण द्वारा अपनी एवं अपने परिवार की संपत्ति के विवरण पटल पर रखे गये :-

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री

(2) श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, परिवहन

17. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(5) श्रीमती रंजना बघेल, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त-

अनुदान संख्या -55 महिला एवं बाल विकास के लिये बारह सौ अठहत्तर करोड अस्सी लाख, बयासी हजार रुपये

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -55	6, 11, 13

निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. विजय लक्ष्मी साधो
(2) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी

श्रीमती रंजना बघेल, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(6) श्री पारस चन्द्र जैन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त-

अनुदान संख्या -39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिये सात सौ सात करोड़, छिहत्तर लाख, चौबीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -39	3, 5, 10, 19, 22, 24

निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू"
(2) श्री शैलेन्द्र जैन

श्री पारस चन्द्र जैन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010) पुरःस्थापित किया.

अपराह्न 9.26 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2010 (चैत्र 2, 1932) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 मार्च, 2010